न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 32/2016 (डूंगरपुर डिक्री)

1. श्री प्रभू पिता देवा रोत मीणा निवासी तलैया तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्री शंकर पिता देवा रोत मीणा निवासी तलैया तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
3. श्रीमती जीवा पुत्री देवा रोत मीणा निवासी तलैया हाल निवास बर मकान पति श्री मोगा ननोमा निवासी बरणिया तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
4. श्रीमती धनु पुत्री देवा रोत मीणा निवासी तलैया हाल निवास बर मकान पति श्री रामजी पिता धूला डामोर निवासी सीदड़ी भाटडा तहसील व जिला ड्डूगरपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री पन्नालाल पिता कचरा रोत मीणा निवासी बीलीया बडगामा फला राजपुर तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्रीमती हांजू पुत्री कचरा रोत मीणा निवासी बीलीया बड़गामा फला राजपुर हाल निवासी बर मकान पति देवा पिता सवजी ननोमा मीणा निवासी ससधमाला तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
3. श्रीमती शान्ता पुत्री कचरा रोत मीणा निवासी बीलीया बडगामा फला राजपुर हाल निवास बर मकान पति श्री धना पिता कोदरा डामोर मीणा निवासी माता टेम्बा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
4. श्री अमृतलाल पिता पदमा रोत मीणा निवासी बीलीया बडगामा फला राजपुर तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)
5. श्रीमती दशा पुत्री पदमा रोत मीणा जाति आदिवासी निवासी तलैया हाल अपने पति जीवा पिता कालिया असारी निासी ओड गांव शमलाजी के पास (गुज.)

6. श्रीमती तुलसी पुत्री पदमा मीणा आदिवासी निवासी तलैया हाल अपने पति स्व. जीवण पिता हकरा डामोर निवासी माण्डव हडमतिया तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
7. श्रीमती सुराली पुत्री पदमा मीणा निवासी बीलीया बडगामा फला राजपुर हाल निवास बर मकान पति श्री पन्नालाल पिता वजा कलासुआ मीणा निवासी बटीकड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
8. श्री सोहनलाल पिता लसू उर्फ लक्ष्मण रोत मीणा निवासी बीलीया बडगामा फला राजपुर तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)
9. श्री हीरा पिता धुलिया रोत मीणा निवासी चुण्डावाड़ा तहसील बीछीवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)
10. श्री शम्भू पिता धुलिया रोत मीणा निवासी चुण्डावाड़ा तहसील बीछीवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)
11. श्रीमती मन्जू पत्नी धुलिया रोत मीणा निवासी चुण्डावाड़ा तहसील बीछीवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)
12. श्री ईश्वरलाल पिता कचरा रोत मीणा निवासी बिलीया बड़गावा फला राजपुर तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)
13. श्रीमती ईटली पुत्री कचरा रोत मीणा निवासी बिलीया बड़गामा फला राजपूर हाल विासी बर मकान पति श्री सीमल पिता वालजी डामोर निवासी अम्बाड़ा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगपुर (राज0)
14. श्रीमती केसर पुत्री कचरा रोत मीणा निवासी बीलीया बडगामा फला राजपुर हाल निवासी बर मकान पति श्री मानजी कटारा मीणा निवासी लोडेश्वर तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)
15. श्री भूमिधारी लेण्ड होल्डर तहसीलदार डूंगरपुर तहसील व जिला डूंगरपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी डूंगरपुर दिनांक 02–07–2014 प्रकरण
संख्या 67 / 2010 वाद

————

उपस्थित :–1– श्री अल्लाहनुर मन्सूरी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1, 4, 12
3–राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या–15

——————/——————

निर्णय **दिनांक 27–03–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट वादीगण संख्या 1 से 11 द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा–53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश करते हुए निवेदन किया कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य होकर मूल पुरूष हलिया के वारिसान पुत्रों में से 4 पुत्र कचरा, देवा, पदमा व धूलिया थे, जो सब मर चुके है। पक्षकारों की पैतृक जमीन ग्राम तलैया तहसील डूंगरपुर में है। जिसमें सभी चारों पुत्रों का राजस्व रेकार्ड में 1/4 हिस्सा है। भूमि कूल किता–25 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा भूमि है। इसी प्रकार ग्राम राजगढ़ी में भी भूमियां शामलाती खाते की कूल किता–5 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा है। सभी पक्षकारान विवादित भूमियों पर शामलाती रूप से अपने 1/4 हिस्से अनुसार काबिज है, किन्तु प्रतिवादीगण विवाद पैदा करते है। अतएव ग्राम तलैया एवं राजगढी दोनों की भूमि का पक्षकरों के मध्य विधिवत विभाजन करवाकर स्वतन्त्र कब्जा दिलवाया जाय तथा अन्य उचित विधिक अनुतोष भी दिलवाया जाय।

उक्त वादपत्र पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अपीलान्ट द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि 45 वर्ष पूर्व पारिवारिक समझौते के अनुसार राजपुर वाली जमीन कचरा एवं पदमा के हिस्से में आने से वे तलैया ग्राम छोड़कर राजपुर चले गये तथा राजपुर वाली जमीन में कचरा व पदमा का कोई हक अधिकार नहीं रहा। राजगढ़ वाली जमीन पर वादीगण काबिज नहीं है, बल्कि अन्यत्र काबिज है। कब्जा नहीं होने से बंटवाड़े के अधिकारी नहीं है। पक्षकारान की प्लीडिंग्स के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने निम्नानुसार तनकीयात कायम की :–

1. ***आया वाद वर्णित भूमि ग्राम तलैया के खाता संख्या 59 कूल खसरा–25 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर बंटवारा करने के अधिकारी है?*** .....वादी

2. *आया वादीगण वाद वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के आधिकारी है? ..... वादी*
3. *वादीगण गांव राजगढ़ी वाली वाद में वर्णित जमीन पर काबिज नहीं है, बल्कि अन्य पैतृक जमीन गांव राजपुर में वटवार हल्का डेचा तहसील सागवाड़ा में स्थित है वहां पर पारिवारिक बंटवारे के अनुसार 45 वर्षो से काबिज है। वाद वर्णित भूमि पर 45 वर्षो से कभी खेती करने नहीं आये है, इसलिए बंटवारा कराने के एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है? .....प्रतिवादी*
4. *आया ग्राम राजगढ़ी पटवार क्षैत्र डोजारी जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 के खाता संख्या 82 में अंकित आराजी का भी राजस्व अभिलेख के अनुसार स्व. हलिया के चारों पुत्रों के वारिसों के मध्य 1/4, 1/4 हिस्सा बंटवारा कराने के वादी हकदार है? ..... वादी*
5. *अनुतोष क्या होगा?*

उभयपक्षों द्वारा पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–3–2014 से प्रकरण में ग्राम तलैया एवं डोजा की विवादित आराजीयात में पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की। उक्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14–7–2014 को अंतिम डिक्री पारित की। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22–8–2016 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद के आवेदन व शपथ पत्र में वर्णित कारणों के आधार पर मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1, 4, 12 की और से अधिवक्ता श्री प्रवीण शुक्ला ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–15 सरकार की और से राजकीय पैरोकार ने उपस्थिति प्रस्तुत की। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

दिनांक 23–2–2018 को बहस सुनने के बाद दिनांक 28–2–2018 को पत्रावली आदेश में नियत थी। इसी दौरान दिनांक 26–2–2018 को अपीलान्ट द्वारा आदेश–41, नियम–27 जाब्ता दीवानी का आवेदन वकील रेस्पोन्डेन्ट को नकल देकर पेश किया तथा साथ में लिखित बहस भी पेश की। दिनांक 28–2–2018 को न्यायहित में उक्त आवेदन पर बहस सुनने तथा पुनः मजीद बहस सुनने हेतु कैम्प डूंगरपुर की तिथि 23–3–2018 तय की जाकर –41, नियम–27 जाब्ता दीवानी पर तथा मजीद बहस सुनी गई। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा दस्तावेजात में ग्राम राजपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2022 तथा ग्राम सागवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2022 पेश की है। राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि होने से आवेदन स्वीकार कर पेश शुदा दस्तावेजात को रेकर्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा बिना कब्जे एवं तहसील सागवाड़ा की विवादित आराजी में विरासती उत्तराधिकार प्राप्त होने के बाद विवाद पैदा किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण प्रारम्भिक डिक्री पारित की। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–3 का निर्णय करते हुए तहसील डूंगरपुर की भूमियों का त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह प्रकट आया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–3–2014 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी थी, जो कि उभयपक्षों की उपस्थिति में पारित की गई थी तथा यह अपील अंतिम डिक्री के विरूद्ध पेश की गई है, जो कि 14–7–2014 को पारित हुई

है। अपीलान्ट प्रतिवादी के द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है वह अंतिम डिक्री के विरूद्ध इस आधार पर पेश की गई है कि विवादित आराजीयात पर वादी रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा नहीं है तथा उन्हें विरासत में दूसरी जगह भूमि मिली है। अपीलान्ट के यह उजर प्रारम्भिक डिक्री से संबंधित है, जिसकी अपीलान्ट द्वारा कोई अपील नहीं की गई है। अंतिम डिक्री की यह अपील प्रारम्भिक डिक्री के अनुक्रम में पारित अंतिम डिक्री की अपील है, जबकि अंतिम डिक्री वस्तुतः पारित प्रारम्भिक डिक्री का कियान्वयन ही है। प्रारम्भिक डिक्री के चुनौति नहीं दिये जाने के कारण अंतिम डिक्री पर प्रारम्भिक डिक्री की आपत्तियों को सुनने का कोई विधिक आधार नहीं है। विधिक रूप से भी रेकार्डेड, पारिवारिक मोरूषी भूमि सह–खातेदारान को विभाजन का अधिकार है तथा मोरूषी उत्तराधिकार की भूमि में कब्जे का कोई तथ्य मान्य नहीं होता।

प्रकरण में जहां तक तनकी संख्या–3 के निर्णय का प्रश्न है, उक्त तनकी का निर्णय हालांकि अपीलान्ट प्रतिवादी के पक्ष में हुआ है परन्तु उक्त तनकी से अपीलान्ट का कोई प्रभावी दाद नहीं दी जा सकती, क्योंकि सह–खातेदारी की मौरूषी भूमि में सभी सह–खातेदारों का कब्जा माना जाता है तथा 2 गांवों में सह–खातेदारों की पृथक–पृथक भूमि होने पर एकल कब्जा यदि किसी एक ग्राम में किसी एक सह–खातेदार का अन्यन्त असन्तुलित कब्जा हो तो सिर्फ कब्जे के आधार पर अन्य सह–खातेदारों के अधिकारों का अवसान नहीं किया जा सकता।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–3–2014 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

1– श्री प्रभू पिता देवा रोत मीणा
निवासी तलैया तहसील व
जिला डूंगरपुर (राज0)
अन्य–3

बनाम

1– श्री पन्नालाल पिता कचरा रोत
निवासी बीलीया बडगामा फला
राजपुर तहसील सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज0)
अन्य–13 व सरकार

अपील नं0 **32/2016** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**डूंगरपुर** .....मुकाम मुक्र्खे.....**18**.....माह.....**03**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**27**..... माह .....**03**..... सन् **2018** .....रूबरू .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री अल्लहनूर मन्सूरी**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री प्रवीण शुक्ला** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–3–2014 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**27**..... माह .....**03**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।